कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ।

विज्ञप्ति

सर्व शिक्षा अभियान के समेकित शिक्षा अन्तर्गत एलिम्को, कानपुर के सहयोग से वर्ष 2016–17 में 6–14 आयु वर्ग के श्रवण अक्षम, शारीरिक अक्षम, मानसिक मंद एवं दृष्टि अक्षम बालक–बालिकाओं को निःशुल्क हियरिंग एड, व्हील चेयर, बैशाखी, ट्राई–साईकिल, ब्रेल छड़ी, ब्रेल स्लेट, कैलीपर आदि आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराया जाना है। कैम्प के प्रथम चरण में उपकरण प्रदान करने हेतु बच्चों का मेजरमेन्ट किया जायेगा। तदपश्चात् दूसरे चरण में चिन्हित किये गये बच्चों को आवश्यकतानुसार उपकरण का वितरण किया जायेगा। मेजरमेन्ट एवं डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प के तिथियों का विवरण निम्नवत् है–

श्रवण अक्षम, शारीरिक अक्षम, मानसिक मंद एवं दृष्टि अक्षम बच्चों हेतु मेजरमेन्ट एवं डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प का विवरण :–

क्र0सं0	कैम्प स्थल	उपकरण प्रदान हेतु जॉच की तिथि (मेजरमेन्ट कैम्प)	उपकरण वितरण की तिथि (डिस्ट्रीब्यूशन कैम्प)
1.	बी0आर0सी0–बड़रांव	दिनांक 11.11.2016 (समय प्रातः 11:00 बजे)	दिनांक 09.01.2017 (समय प्रातः 11:00 बजे)
2.	बी0आर0सी0–परदहां	दिनांक 12.11.2016 (समय प्रातः 11:00 बजे)	दिनांक 10.01.2017 (समय प्रातः 11:00 बजे)

जनपद के समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 6–14 आयु वर्ग के श्रवण अक्षम, शारीरिक अक्षम, मानसिक मंद एवं दृष्टि अक्षम बालक–बालिकाओं के माता–पिता/अभिभावकों एवं उनके अध्ययनरत विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/ई0प्र0आ0/स0अ0/शिक्षा मित्र/इटीनरेन्ट टीचर/रिसोर्स टीचर/फिजियोथेरेपिस्ट से अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चो को ऊपर दिये गये विवरण के अनुसार नजदीक के किसी एक कैम्प में प्रतिभाग कराकर कैम्प का लाभ उठावें। मेजरमेन्ट कैम्प में चिन्हित बच्चों को ही वितरण कैम्प में उपकरणों का वितरण किया जायेगा।

नोट :– उक्त कैम्प में नामांकन हेतु बच्चों को निम्न प्रपत्र लाना अनिवार्य है।

1. विकलांग बच्चे की तीन फोटो, जिसमें विकलांग अंग स्पष्टतः दिखलाई दें। 2. बच्चें का नाम, पिता/अभिभावक का नाम, कक्षा, उम्र व पता के संबंध में अपने अध्ययनरत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ई0प्र0अ0 से प्रमाण पत्र। 3. सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मूल रूप से एवं छायाप्रति। 4. राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अथवा बी0पी0एल0 कार्ड, मनरेगा कार्ड, विकलांगता पेंशन प्रपत्र, एम0एल0ए0/एम0पी0 या ग्राम प्रधान से आमदनी प्रमाण पत्र (रू0 15000.00 तक मासिक आमदनी पर निःशुल्क एवं रू0 15001.00 से रू0 20000.00 तक मासिक आमदनी पर आधे मूल्य पर उपकरण देय होंगे) 5. पासपोर्ट, डी0एल0, बैंक पासबुक, पैनकार्ड, सरकारी कर्मचारी की विभागीय आई0डी0, राशनकार्ड, शस्त्र लाईसेन्स, पेंशन कार्ड, रोजगार गारण्टी स्कीम का कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0) पोस्ट आफिस सेविंग स्कीम का पासबुक, आधार कार्ड, वोटर कार्ड में से किसी एक की छायाप्रति।
2. **सम्पर्क नं0–8858297769, 9415904366**

(अमित कुमार श्रीवास्तव)	(अरूण सक्सेना)	(राकेश कुमार)	(आशुतोष कुमार द्विवेदी)	(निखिल चन्द्र शुक्ला)
जिला समन्वयक (सम0शि0)	सहा0 वित्त एवं लेखाधिकारी	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, मऊ	एस0एस0ए0–मऊ।	मऊ।	मऊ।	मऊ।

कार्यालय–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ।

पत्रांक : 3410-11 /एस0एस0ए0/ समेकित शिक्षा/मेजरमेन्ट कैम्प /2016–17 दिनांक : 04/11/16

प्रतिलिपि :

1. जिला सूचना अधिकारी मऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनहित में दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय पृष्ठ पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को एन0आई0सी0 के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

04/11/2016

(राकेश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ।